भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4054
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान

†4054. **श्री बसवराज बोम्मई:**
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण (जीवाईटीएस-2), 2019 के अनुसार 13-15 वर्ष की आयु के 8.5 प्रतिशत भारतीय छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं और देश में 5,500 से अधिक बच्चे प्रतिदिन तंबाकू का उपयोग शुरू करते हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने युवाओं और स्कूली बच्चों में तम्बाकू के सेवन की व्यापकता को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और उनमें स्वास्थ्य साक्षरता को सुदृढ़ करने के लिए कोई कार्यनीति और मूल्यांकन उपकरण विकसित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम प्रथाओं अथवा सफलता की कहानियों की पहचान की है; और
(घ) यदि हां, तो क्या देश भर में ऐसी प्रथाओं को दोहराने की कोई योजना है और देश में "तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान" (टीओएफईआई) के लक्ष्य को प्राप्त करने में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण (जीवाईटीएस-4), 2019 के निष्कर्षों के अनुसार, 13-15 वर्ष की आयु के 8.4% भारतीय छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे थे। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष सार्वजनिक डोमेन में https://ntcp.mohfw.gov.in/assets/document/surveys-reports-publications/GYTS%204%20Final%20Report.pdf पर उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) सरकार ने युवाओं में तंबाकू के सेवन की व्यापकता को रोकने और स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ प्रमुख उपाय नीचे दिए गए हैं:

i. सरकार ने वर्ष 2008 में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों (टीओएफ़ईआई) के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे और इन्हें वर्ष 2019 में अद्यतन किया गया था। यह स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू के उपयोग और बिक्री से पूरी तरह मुक्त बनाने के लिए एक संरचित दिशानिर्देश प्रदान करता है।

ii. डीओएसईएल ने 31 मई 2024 को टीओएफईआई का कार्यान्वयन मैनुअल जारी किया था। इसका उद्देश्य स्कूलों को टीओएफईआई दिशानिर्देशों का पालन करने में सहायता करना है, जिससे छात्रों के लिए एक स्वस्थ, तंबाकू मुक्त वातावरण का निर्माण हो सके। स्कूलों द्वारा की जाने वाली 9 गतिविधियों को शामिल करने वाला यह मैनुअल सभी हितधारकों को छात्रों को तंबाकू के खतरों से बचाने वाले दिशानिर्देशों को अपनाने और लागू करने का अधिकार देता है।

iii. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), उच्चतर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 18 सितंबर, 2024 को एक संयुक्त अ.शा. पत्र सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया, जिसमें टीओएफईआई दिशानिर्देशों और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 (विशेष रूप से धारा 6ए और 6बी) के विभिन्न प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का अनुरोध किया गया।

iv. नवंबर 2024 में, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टीओएफईआई और सीओटीपीए प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए एक परामर्शी जारी की।

v. डीओएसईएल द्वारा 19 मई 2025 को एक महीने तक चलने वाले प्रवर्तन अभियान के लिए राष्ट्रीय आह्वान जारी किया गया, जिसमें राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया गया कि वे टीओएफईआई दिशानिर्देशों में उल्लिखित गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ठोस उपायों और सीओटीपीए, 2003 की धारा 6क और 6ख के प्रावधानों के माध्यम से स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों को तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों से मुक्त रखें। यह रेखांकित किया गया कि, टीओएफईआई दिशानिर्देशों के तहत, स्थानीय अधिकारियों द्वारा दो प्रमुख गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है: गतिविधि 8 - तंबाकू मुक्त क्षेत्र को नामित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 100 गज की दूरी पर एक पीली रेखा चिह्नित करना, और

गतिविधि 9 - यह सुनिश्चित करना कि कोई भी दुकान या विक्रेता उस 100 गज के क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद की बिक्री ना करे।

vi. जागरूकता बढ़ाने और टीओएफईआई दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए डीओएसईएल द्वारा 31 मई 2025 को "अपील का पर्दाफाश: तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की कार्यनीति को उजागर करना" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीआरबी), एनसीईआरटी, सीबीएसई, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, डोमेन विशेषज्ञों, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के अधिकारियों और प्रतिनिधियों और शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। इस कार्यशाला के दौरान, एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (एसएचपी) और मनोदर्पण पहल जैसे मॉड्यूल पहलों के बारे में राज्यों को बताया गया। कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने टीओएफईआई के कार्यान्वयन में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया, जिसमें व्यापक पहुँच के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा टीओएफईआई दिशानिर्देशों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद, पुडुचेरी द्वारा छात्रों को तंबाकू के नुकसानों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक लाइव ऑर्गन संग्रहालय का निर्माण और मेघालय द्वारा छात्रों के नेतृत्व में सिफारिश के प्रयासों के लिए रैलियों, हस्ताक्षर अभियानों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से छात्रों को संगठित करना शामिल था। विभिन्न राज्यों के सर्वोत्तम केस स्टडीज़ को सभी हितधारकों के साथ साझा किया गया।

vii. विश्व तंबाकू निषेध दिवस जागरूकता प्रश्नोत्तरी (10 प्रश्नों सहित) 2025, 22 मई, 2025 को एमवाईजीओवी पर शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य स्कूल/कॉलेज के छात्रों में तंबाकू के हानिकारक प्रभावों और तंबाकू एवं निकोटीन उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भ्रामक विपणन कार्यनीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब तक, इस प्रश्नोत्तरी में 69,000 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले चुके हैं।

viii. तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डीओएसईएल द्वारा 11 जून 2025 को एमवाईजीओवी प्लेटफॉर्म पर 'स्कूल चैलेंज: तंबाकू मुक्त पीढ़ी की ओर' अभियान शुरू किया गया था। इस चैलेंज में चार गतिविधियाँ शामिल हैं-रैली, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और नारे/कविताएँ-जिनका उपयोग स्कूल स्थानीय समुदायों को तंबाकू सेवन के खिलाफ संगठित करने और "तंबाकू को ना, स्वास्थ्य को हाँ" संदेश को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को

तंबाकू मुक्त पीढ़ी के निर्माण हेतु परिवर्तन के वाहक और उत्प्रेरक बनने के लिए प्रेरित करना है। दिनांक 13.08.2025 की स्थिति के अनुसार 4,000 से अधिक स्कूलों ने स्कूल चैलेंज में भाग लिया है।

उपरोक्त उपायों के अलावा, सरकार एनसीईआरटी के सहयोग से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूल प्रमुखों तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने, सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और स्कूलों में टीओएफईआई दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और जागरूकता सत्र आयोजित करती है।

******